उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय,
117 इन्दिरा नगर देहरादून।

पत्रांक 160 / एचक्यू / तकनीकी / आईओसी / 2011 दिनांक 27/06/2011

मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम,
नैनीताल / टनकपुर / देहरादून।

दिनांक 30, 31.5.2011 एवं 1.6.2011 को टनकपुर मण्डल के निरीक्षण के समय डीजल पम्पों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि पिथौरागढ़ डिपो में डीजल की शोर्टेज 15269 लीटर, लोहाधाट डिपो में 10698 लीटर है। डीजल रजिस्टर देखने पर पाया गया कि उक्त शोर्टेज वर्ष 2005 से प्रोग्रेसिब रुप से जोडी जा रही हे। इस प्रकार उक्त शोर्टेज लगभग 06 वर्षो की है। सम्भवतः यही स्थिति निगम के अन्य डिपो में भी है। इस प्रकार लगातार कई वर्षो की शोर्टेज प्रोगेसिब रुप से जोडने पर डीजल में हो रही छीजन का सही आंकलन करना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि डीजल पम्प में हो रही छीजन को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समायोजन कर लिया जाय। भारतीय तेल निगम द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम डीजल छीजन निम्न प्रकार निर्धारित किया है :-

Handling losses in HSD is as follows :

0.25 % on quantity sold upto an annual average of 600 KLs.

0.20 % on additional quantity beyond an annual average of 600 KLs.

यदि किसी डिपो में उपरोक्त निर्धारित नार्मस से अधिक मात्रा मे डीजल शोर्टेज की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिये उक्त अवधि में डीजल पम्प पर तैनात सम्बन्धित कार्मिकों के साथ साथ डीजल पम्प के रख-रखाव हेतु उत्तरदायी केन्द्र प्रभारी / वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये रिकवरी की कार्यवाही की जाय।

अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर डीजल पम्पों का भौतिक सत्यापन करके उक्त निर्धारित सीमा तक के डीजल के शोर्टेज का समायोजन करते हुये यदि अधिक मात्रा में डीजल शोर्टेज पाया जाता है तो उसके लिये डीजल पम्प पर तैनात कर्मचारियों को समान रुप से दोषी पाते हुये रिकवरी की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शोर्ट पाये गये डीजल की सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाय।

(रमेश चन्द्र सेमवाल)
वित्त नियंत्रक,

प्रतिलिपि- मण्डलीय प्रबन्धक (तकनीकी) देहरादून / टनकपुर / काठगोदाम।
2- सहायक महाप्रबन्धक(वित्त) / सहायक लेखाधिकारी(सम्परीक्षा) देहरादून / टनकपुर / नैनीताल।
3- समस्त सहायक महाप्रबन्धक (डिपो) देहरादून / टनकपुर / नैनीताल।

(रमेश चन्द्र सेमवाल)
वित्त नियंत्रक,

आशिमित पत्र

Permissible Stock Variation and Handling loss

As per 'Marketing Discipline Guidelines'

Stock reconciliation should be carried out and variation, if any, established after taking into account the normal variation in operation levels of +/- 4% of tank stock and after considering the following factors:

a. Evaporation / handling losses in MS is as follows:
0.75 % on quantity sold upto an annual average of 600 KLs.
0.60 % on additional quantity beyond an annual average of 600 KLs.

b. Handling losses in HSD is as follows:
0.25 % on quantity sold upto an annual average of 600 KLs.
0.20 % on additional quantity beyond an annual average of 600 KLs."